शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग / **PSLD**

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय

COLLEGE OF AGRICULTURAL BANKING

भारतीय रिज़र्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA

युनिवर्सिटी रोड/**University Road**

पुणे/ PUNE

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), पुणे में फायर वार्डन की सेवाएँ प्रदान करने और सीएबी, आरबीआई के परिसरों तथा इसके 05 आवासीय क्वार्टरों में अग्निशामकों की सर्विसिंग के लिए निविदा

भाग । (खंड I से खंड IX)

(तकनीकी बोली)

संविदा में विनिर्दिष्ट तिथि से 30 जून 2018 तक की अवधि के लिए

को निर्गत : ____

(निविदादाता का नाम)

निविदादाता का पता : ____

____

____

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17 अक्तूबर 2017 को 1300 बजे तक

भाग-। निविदा खोले जाने की तिथि 17 अक्तूबर 2017 को 1600 बजे

दावात्याग

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी). भारतीय रिज़र्व बैंक, शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी), पुणे (बैंक) ने इस निविदा दस्तावेज को तैयार किया है । यह सूचना भावी बोलीकर्ताओं के लिए दी जा रही है, ताकि वे कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे (सीएबी), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), पुणे में फायर वार्डनों की सेवाएँ प्रदान करने और सीएबी, आरबीआई के कार्यालय परिसर तथा इसके 05 आवासीय क्वार्टरों 'आशियाना' अधिकारी क्वार्टर्स, (गोखले नगर, पुणे), 'पारिजात' अधिकारी क्वार्टर्स, (युनिवर्सिटी रोड, पुणे), 'गुलमोहर' अधिकारी क्वार्टर्स (दहानुकर कॉलोनी, कोथरुड, पुणे) 'निशिगंधा' स्टाफ क्वार्टर्स, (युनिवर्सिटी रोड, पुणे) और 'रजनीगंधा' स्टाफ क्वार्टर्स, (युनिवर्सिटी रोड, पुणे) में संविदा में विनिर्दिष्ट तिथि से इस निविदा में उल्लिखित शर्तों और इस प्रकार की सूचना के संबंध में किन्हीं अन्य शर्तों के अनुसार अग्निशामकों की सर्विसिंग के लिए बोली लगा सकें -

यह निविदा न तो किसी पार्टी के साथ कोई करारनामा है, न ही यह किसी पार्टी को किसी प्रकार का कार्य करने के लिए आमंत्रण है । इस निविदा का प्रयोजन बैंक की जरूरतों को सभी इच्छुक पार्टियों के साथ साझा करना है, ताकि वे अपनी बोली प्रस्तुत कर सकें । **जबकि बैंक ने इसमें अंतर्विष्ट सूचना को तैयार करने में सम्यक् सावधानी बरती है, बैक यह दावा नहीं करता है कि यह सूचना परिपूर्ण है। इस निविदा के प्रत्यर्थियों को स्वयं पूछ-ताछ करनी है और उन्हें इस निविदा में दी गयी सूचना पर निर्भर नहीं रहना चाहिए । बैंक इस बात के लिए जवाबदेह नहीं होगा, यदि प्रत्यर्थियों द्वारा इस संबंध में सम्यक् तत्परता नहीं बरती जाती है ।** बैंक को अधिकार है कि वह इस निविदा के साथ आगे नहीं बढ़े, इस दस्तावेज में दी गयी समय-सारणी को बदल दे या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या क्रियाविधि को बदल दे । इसे यह भी अधिकार है कि यह किसी प्रत्यर्थी के साथ आगे निविदा पर चर्चा नहीं करे । बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार से किसी खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी ।

अँग्रेजी और हिन्दी में निर्गत की गयी निविदा में कोई विसंगति होने की स्थिति में अंग्रेजी में निर्गत निविदा में विनिर्दिष्ट विवरण अभिभावी होंगे ।

विषय-सूची की तालिका

मद	वर्णन	पृष्ठ
निविदा सूचना		**4-5**
भाग-I		
खंड I	पात्रता मानदंड और महत्वपूर्ण सूचना	**6-9**
खंड II	कार्य का विषय-क्षेत्र	**10-11**
खंड III	बोलीकर्ता(ओं) के लिए सामान्य अनुदेश	**12-19**
खंड IV	संविदा की विशेष शर्तें	**20-23**
खंड V	निविदा का प्ररूप	**24-25**
खंड VI	बोलीकर्ता के ब्यौरे	**26-27**
खंड VII	निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की जाँच-सूची	**28-29**
खंड VIII	वाणिज्यिक शर्तें	**30**
खंड IX	प्रस्तावों की संवीक्षा	**31-32**
अनुबंध I	समान सेवाओं की सूची	**33**
अनुबंध II	ग्राहक-रिपोर्ट का प्रोफार्मा	**34-35**
अनुबंध III	बैंकर प्रमाणपत्र का प्रोफार्मा	**36**
अनुबंध IV	तकनीकी बोली-बुनियादी सूचना	**37**
अनुबंध V	एनइएफटी के ब्यौरे	**38**
भाग-II - वित्तीय बोली		
खंड I	परिमाण विपत्र	**-**

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी)
युनिवर्सिटी रोड, शिवाजीनगर
पुणे - 411 016

निविदा सूचना

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), पुणे में फायर वार्डनों की सेवाएँ प्रदान करने और सीएबी, आरबीआई के कार्यालय परिसर तथा इसके 05 आवासीय क्वार्टरों 'आशियाना' अधिकारी क्वार्टर्स, (गोखले नगर, पुणे), 'पारिजात' अधिकारी क्वार्टर्स, (युनिवर्सिटी रोड, पुणे), 'गुलमोहर' अधिकारी क्वार्टर्स (दहानुकर कॉलोनी, कोथरुड, पुणे), 'निशिगंधा' स्टाफ क्वार्टर्स, (युनिवर्सिटी रोड, पुणे) और 'रजनीगंधा' स्टाफ क्वार्टर्स, (युनिवर्सिटी रोड, पुणे) में संविदा में विनिर्दिष्ट तिथि से 30 जून 2018 तक अग्निशामकों की सर्विसिंग के लिए निविदा ।

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) भारतीय रिज़र्व बैंक, शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी), पुणे, इसके पश्चात् बैंक के रूप में निर्दिष्ट, प्रतिष्ठित एवं पात्र फर्मों/कंपनियों से कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), पुणे में संविदा में विनिर्दिष्ट तिथि से 30 जून 2018 तक फायर वार्डनों की सेवाएँ प्रदान करने तथा सीएबी, आरबीआई के कार्यालय परिसर तथा इसके 05 आवासीय क्वार्टरों 'आशियाना' अधिकारी क्वार्टर्स, (गोखले नगर, पुणे, 'पारिजात' अधिकारी क्वार्टर्स, (युनिवर्सिटी रोड, पुणे), 'गुलमोहर' अधिकारी क्वार्टर्स (दहानुकर कॉलोनी, कोथरुड, पुणे), 'निशिगंधा' स्टाफ क्वार्टर्स, (युनिवर्सिटी रोड, पुणे) और 'रजनीगंधा' स्टाफ क्वार्टर्स, (युनिवर्सिटी रोड, पुणे) में अग्निशामकों की सर्विसिंग के लिए निविदाएँ आमंत्रित करता है ।

2. निविदा प्रपत्र कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), भारतीय रिज़र्व बैंक, शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी), युनिवर्सिटी रोड, पुणे से 11 सितंबर 2017 से 03 अक्टूबर 2017 तक कार्यालय समय के दौरान सोमवार से शुक्रवार तक 11.00 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक 1000/- रुपये नकद या **एनइएफटी** के जरिये अग्रिम प्रेषण के रूप में अदा करने पर प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदा प्रपत्र हमारे वेबसाइट www.rbi.org.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं, जिसके लिए 1000/- रुपये का भुगतान एनइएफटी के जरिए किया जा सकता है (बैंक के एनइएफटी ब्यौरे अनुबंध V के अनुसार हैं) ।. एनइएफटी का प्रमाण निविदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाना है ।

3. बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसे अधिकार है कि वह किसी निविदा को या तो पूर्णतः या अंशतः स्वीकार करे । बैंक को यह भी अधिकार है कि वह सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दे ।

प्रधानाचार्य
07 सितंबर 2017

खंड - I पात्रता मानदंड और महत्वपूर्ण सूचना

1.1	**कार्य का नाम :**
	कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे, में संविदा में विनिर्दिष्ट तिथि से 30 जून 2018 तक फायर वार्डनों की सेवाएँ प्रदान करने तथा सीएबी, आरबीआई के कार्यालय परिसर तथा इसके 05 आवासीय क्वार्टरों 'आशियाना' अधिकारी क्वार्टर्स, (गोखले नगर, पुणे, 'पारिजात' अधिकारी क्वार्टर्स, (युनिवर्सिटी रोड, पुणे), 'गुलमोहर' अधिकारी क्वार्टर्स (दहानुकर कॉलोनी, कोथरुड, पुणे), 'निशिगंधा' स्टाफ क्वार्टर्स, (युनिवर्सिटी रोड, पुणे) और 'रजनीगंधा' स्टाफ क्वार्टर्स, (युनिवर्सिटी रोड, पुणे) में अग्निशामकों की सर्विसिंग के लिए निविदा
1.1.1	**पात्रता मानदंड**
(क)	बोलीकर्ता को महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा विभाग के विक्रेताओं की अनुमोदित सूची में होना चाहिए
(ख)	फर्म का गठन i) खंड VI के अनुसार फर्म और उनके बैंकरों के विवरण ii) संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम/निगमन प्रमाणपत्र/भागीदारी विलेख/अन्य संगत दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जायेगी ।
(ग)	31 मार्च 2017 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान उसका कुल कारोबार **रु.25.00 लाख** या अधिक होना चाहिए आयकर निर्धारण आदेश/आयकर विवरणी की प्रतियों के साथ फर्म के कारोबार के नवीनतम लेखापरीक्षित अंतिम विवरण की प्रतियाँ, जो किसी सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित की गयी हों/किसी सनदी लेखाकार द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र की प्रति पिछले तीन वर्षों के कारोबार के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किये जाने चाहिए ।
(घ)	बोलीकर्ता के पास पुणे/मुम्बई में कार्यालय के साथ पर्याप्त मानव बल होना चाहिए, ताकि एवजी/रिलीवर का ध्यान रखा जा सके ।
(ङ)	फर्म/निविदादाता के पास निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार 31 मार्च 2017 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकारी विभागों, विमानपत्तनों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, प्रशिक्षण केंद्रों में इसी प्रकार की सेवा सफलतापूर्वक प्रदान करने का अनुभव हो : क) इसी प्रकार के पूरा किये गये तीन कार्य, जिनमें **से प्रत्येक** की लागत रु.10 लाख से कम नहीं हो, **या** ख) इसी प्रकार के पूरा किये गये दो कार्य, जिनकी लागत रु. 14 लाख से कम नहीं हो, **या** ग) इस प्रकार का एक कार्य, जिसकी लागत रु.27 लाख से कम नहीं हो, घ) कार्य-अनुभव के ब्यौरे के समर्थन में कार्यादेश होंगे ।

	इसी प्रकार के कार्यों का ग्राहक-वार नाम, दिये गये कार्य का निष्पादन करने का/के_वर्ष और निष्पादित कार्य(यों) का वास्तविक मूल्य, विलंब का कारण (यदि हो), अधिकारियों/प्राधिकारियों/विभागों के नाम और उनसे संपर्क के पूरे ब्यौरे, जिनके अधीन कार्य पूरा किया गया/गये, **अनुबंध-I** के अनुसार प्रस्तुत किये जाने चाहिए । ग्राहक रिपोर्ट (**अनुबंध II में दिये गये फार्मैट के अनुसार),** जिसमें **पिछले 5 वर्षों** के दौरान निष्पादित कार्यों के ब्यौरे दर्शाये गये हों, एक अलग मुहरबंद लिफाफे में तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जानी चाहिए । **टिप्पणी** : i) सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में प्रमाणपत्र पर संबंधित कार्यपालक इंजीनियर या उसके समकक्ष या उच्चतर रैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए । ii) सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से भिन्न विभागों के संबंध में ऊपर i) में उल्लिखित प्रमाणपत्र के अलावा टीडीएस प्रमाणपत्र, जो निष्पादित कार्यों से संबंधित भुगतान से मेल खाता हो, भी संलग्न किया जायेगा ।
(च)	पूर्व अनुभव के दस्तावेजी साक्ष्य, यदि हो, के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी केंद्र के लिए निष्पादित कार्यों के ब्यौरे भी दिये जाने चाहिए
(छ)	अनुबंध III में दिये गये प्रोफार्मा के अनुसार कम से कम **रु.27 लाख** मूल्य का बैंकर शोध क्षमता प्रमाणपत्र एक अलग मुहरबंद लिफाफे में तकनीकी बोली के साथ दिया जाना चाहिए
(ज)	पंजीकरण पैन, जीएसटी पंजीकरण, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण, भविष्य निधि पंजीकरण, श्रम कानूनों के अंतर्गत पंजीकरण की प्रतिलिपि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए
1.1.2	**तैनात किये जाने वाले फायर वार्डनों के संबंध में अन्य शर्तें**
क	तैनात किये गये फायर वार्डन को योग्यताप्राप्त होना चाहिए और उनके पास कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए । उन्होंने सरकार से मान्यताप्राप्त किसी संस्था से अग्निशमन का बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो
ख	तैनात किये गये फायर वार्डनों को 50 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए
ग	बोलीकर्ता द्वारा तैनात किये गये फायर वार्डनों को उनकी तैनाती से एक वर्ष के भीतर आवर्तित/स्थान परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए
घ	तैनात किये गये फायर वार्डन को चिकित्सीय/शारीरिक रूप से उपयुक्त होना चाहिए और

	50 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए
ङ	फायर वार्डन को अग्निशमन उपायों के लिए सुप्रशिक्षित होना जाहिए, जिसमें फर्स्ट एड, संकट काल में प्रतिक्रिया करना और अग्निशमन ऑपरेशन शामिल है
च	भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे में ऐसी सेवाएँ प्रदान करने की अवधि के दौरान फायर वार्डन/पर्यवेक्षकों के समस्त जोखिम-रक्षा की जिम्मेवारी बोलीकर्ता की होगी
छ	छुट्टी/अत्यावश्यकता के मामले में एवजी/रिलीवर के पास तत्समान योग्यता एवं अनुभव होना चाहिए
ज	तैनात किये गये प्रत्येक व्यक्ति का पुलिस सत्यापन आवश्यक और अनिवार्य है । यह एकमात्र फर्म की जिम्मेवारी होगी कि वह तैनात किये गये सभी फायर वार्डनों का पुलिस सत्यापन कराये
झ	एक समर्पित मोबाइल (नंबर सहित) बोलीकर्ता द्वारा अपने ही खर्च पर फायर कंट्रोल रूम में दिया जायेगा
ञ	ड्यूटी पर रहने वाले फायर स्टाफ को वर्दियाँ और बैज देना. ताकि उनकी पहचान फायर स्टाफ के रूप में हो सके

1.2 महत्वपूर्ण सूचना

अग्रधन जमा (इएमडी)	**इएमडी रु.54000/- एनइएफटी के जरिये प्रेषित किया जाना है (ब्यौरा अनुबंध V में दिया गया है) या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक गारंटी प्रस्तुत की जानी है । लेन देन के ब्यौरे दिये जाने हैं । इस शर्त का पालन नहीं किये जाने पर निविदा बैंक के विवेक पर अमान्य कर दी जायेगी ।**
निविदा दस्तावेज का मूल्य	**रु.1000/-, नकद या अनुबंध V के अनुसार एनइएफटी द्वारा ।**
कार्यालय द्वारा निविदा दस्तावेज जारी किये जाने की तिथि और स्थान या उसे आरबीआई वेबसाइट www.rbi.org.in से डाउनलोड करना	11 सितंबर 2017 से 03 अक्तूबर 2017 तक शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी), कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे 411 016

बोली-पूर्व बैठक की तिथि और स्थान	**04 अक्तूबर 2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न** कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी), युनिवर्सिटी रोड, पुणे में, जिसमें किसी भी प्रकार की जिज्ञासा का उत्तर दिया जायेगा । कार्य/निविदा के संबंध में बोलीकर्ता को स्पष्टीकरण दिया जायेगा और उन्हें इस निविदा के बारे में प्रासंगिक जानकारी दी जायेगी । बैठक के लिए अलग से सूचित नहीं किया जायेगा । निविदादाताओं से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे इस बैठक में सभी मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करें और इसलिए वे बैंक की निविदा शर्तों/विनिर्देशों से अपनी तकनीकी बोली (भाग-I) और कीमत बोली (भाग II) में विचलन करने से बचें
पूरी हुई बोली प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि और स्थान	**17 अक्तूबर 2017** के 1300 बजे तक शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी), कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, युनिवर्सिटी रोड, पुणे - 411 016
तकनीकी बोली को खोले जाने की तिथि और समय	**17 अक्तूबर 2017** को 1600 बजे
वित्तीय बोली को खोले जाने की तिथि और समय	तकनीकी बोली की संवीक्षा के बाद सभी बोलीकर्ताओं को बाद में सूचित किया जायेगा
प्रारंभ होने की तिथि	जैसा कार्यादेश में विनिर्दिष्ट किया जायेगा
मुख्तारनामा	उस व्यक्ति के पक्ष में प्रस्तुत किया जायेगा, जो निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे
भुगतान की शर्त	पैरी 4.6 देखें
दंड	पैरा 4.5 देखें

निविदा की वैधता-अवधि	तकनीकी बोली को खोले जाने की तिथि से 90 दिन
सभी प्रकार के उत्पन्न विवादों के लिए न्यायालय की अधिकारिता	पुणे
निविदा/बोली भेजने के लिए पता	**प्रधानाचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी), युनिवर्सिटी रोड, पुणे (महाराष्ट्र) - 411 016**
इस निविदा के संबंध में पत्राचार के लिए संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति	नाम एवं पदनाम : मेजर सोमित दत्ता, प्रबंधक, शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी) फोन : 020-25582339 मोबाइल नं. : +919821251615 ईमेल :

1.3 बैंक को अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताये किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार कर दे और उसे यह भी अधिकार है कि किन्हीं शर्तों को शिथिल करे । किसी भी बोलीकर्ता को उसकी बोली अस्वीकार किये जाने के लिए बैंक के विरुद्ध वाद हेतुक या दावा नहीं होगा ।

1.4 इस निविदा के उत्तर में प्रस्तुत की गयी सभी सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक की संपत्ति होगी और वह उनकी संकल्पना का उपयोग अपनी इच्छानुसार करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

प्रधानाचार्य,
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक,
शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी),
युनिवर्सिटी रोड, पुणे - 411016

<u>खंड-।। : कार्य का विषय-क्षेत्र</u>

1. कार्य का विषय-क्षेत्र

i. बोलीकर्ता प्रति दिन तीन पारियों में छह (06) प्रशिक्षित फायर वार्डनों की व्यवस्था करेगा अर्थात् तीन पारियों में से प्रत्येक में दो फायर वार्डन । बोलीकर्ता फायर वार्डनों को आठ घंटों की पारी में तैनात करेगा, जो चौबीसों घंटे तीन पारियों (6.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न, 2.00 बजे अपराह्न से 10.00 बजे अपराह्न और 10.00 बजे अपारह्न से 6.00 बजे पूर्वाह्न) में आग से बचाव के उपाय करेंगे, फायर कंसोल कक्षों में आदमी लगायेंगे, फायर सेफ्टी उपकरणों, यथा, अग्निशामक, के रख-रखाव का काम करेंगे और स्थानीय फायर ब्रिगेड से संपर्क रखने का कार्य करेंगे ।

ii. बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि दो फायर वार्डन बैंक परिसर में चौबीसो घंटे हमेशा ड्यूटी पर रहें, लेकिन शर्त यह है कि एक फायर वार्डन लगातार 8 घंटों से अधिक समय तक ड्यूटी पर नहीं रहे ।

iii. फायर वार्डन नियमित अंतराल पर बैंक परिसर का फेरा लगायेगा और ड्यूटी पर तैनात फायर वार्डन को कार्यमुक्त करने के पहले भी फेरा लगायेगा ।

iv. बीमारी/अन्य कारणों से मानव बल में हुई कमी को बोलीकर्ता द्वारा पूरा किया जायेगा ।

v. बोलीकर्ता अग्निशामकों (109) की सर्विसिंग तिमाही आधार पर किये जाने के लिए जिम्मेवार होगा ।

vi. तैनात किये गये फायर वार्डन सुरक्षा प्रबंधक, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करेंगे ।

vii. यह सुनिश्चित करेगा कि बैंक परिसर में नियोजित किये गये फायर स्टाफ सभी अनुदेशों का पालन करते हैं, जैसे और जब वे सुरक्षा अधिकारियों या प्रधानाचार्य द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा दिये जाते हैं ।

viii. फायर हाइड्रैंट/वेट राइजर सिस्टम का अनुरक्षण और परिचालन करना, जहाँ भी इन्हें कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में संस्थापित किया गया है ।

ix. बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिनियुक्त फायर वार्डन ड्यूटी करते समय मदिरा के नशे में न हों या किसी नशीली औषधि के प्रभाव में नहीं हों ।

2. फायर वार्डन द्वारा किये जाने वाले कार्यों की सूची (निदर्शी)

क) चौबीसो घंटे फायर कंट्रोल कक्ष/फायर पैनल में आदमी लगाये रखेंगे ।

ख) बैंक द्वारा अधिकथित आवधिकता पर सभी अग्निशमन उपकरणों की उपयोगिता की जाँच करेंगे ।

ग) सभी अग्निशमन उपकरणों/अग्निशामकों की सर्विसिंग करेंगे ।

घ) अग्निशमन के संबंध में बैंक के स्टाफ के लिए आवधिक प्रशिक्षण का संचालन करेंगे ।

ङ) आग लगने की घटना के होते ही उसे बुझाने का कार्य करेंगे और जैसे और जब फायर ब्रिगेड पहुँचे, उसकी सहायता करेंगे ।

च) नियमित अग्निशमन ड्रिल का संचालन करेंगे ।

छ) कार्य और प्रशासन के सभी पहलुओं पर सुरक्षा प्रबंधक के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे, जो अग्निशमन और आपदा प्रबंधन से संबंधित हों ।

ज) जैसे और जब अग्निशमन लेखापरीक्षा की जाये, तब उसमें सहायता करेंगे ।

झ) समस्त परिसर का नियमित निरीक्षण करेंगे, ताकि आग के खतरों की पहचान हो सके और उन्हें दूर किया जा सके/आग से बचाव के लिए तथा बिल्डिंग कोड के उल्लंघन को रोकने के लिए कदम उठायेंगे ।

ञ) प्रतिदिन बचाव के सभी रास्तों और अग्निशमन गलियारों की जाँच करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो कि वे बाधामुक्त हैं ।

ट) यदि आग लगने की कोई घटना हो, तो खोज एवं बचाव तथा उद्धार-कार्य में सहायता करेंगे ।

ठ) उक्त परिसर के संबंध में सभी प्रकार की अग्निशमन व्यवस्था के लिए जिम्मेवार होंगे ।

खंड ।।। : बोलीकर्ताओं के लिए सामान्य अनुदेश

3.1	**निविदा दस्तावेज**
3.1.1	निविदा में यह दस्तावेज शामिल होगा, जिसमें नौ खंड हैं और इसके साथ कोई अनुबंध, अनुसूचियाँ, परिशिष्ट या शुद्धिपत्र, आदि होंगे, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसके प्रयोजनार्थ जारी किये जायें ।
3.1.2	बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे निविदा दस्तावेज के सभी खंडों का आद्योपांत अध्ययन कर लें । बोली प्रस्तुत किये जाने पर यह समझा जायेगा कि ऐसा निविदा दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अध्ययन और परीक्षण किये जाने एवं इसके निहितार्थ को पूरी तरह समझ लेने के बाद किया गया है ।
3.1.3	बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे केवल बैंक द्वारा निर्गत/ या वेबसाइट से डाउनलोड किये गये फार्मों (निविदा पुस्तिका) का उपयोग करें । यदि निविदाएँ वेबसाइट से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्रों पर प्रस्तुत की जाती हैं, तो बाद में उसमें कोई परिवर्तन/आशोधन पाये जाने पर ऐसी निविदाएँ अयोग्य मानी जा सकती हैं । तथापि, यदि वे अतिरिक्त सूचना देना चाहते हों, तो ऐसा वे अपने पत्र-शीर्ष/कागज पर दे सकते हैं । प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किया जायेगा।
3.1.4	पात्रता मानदंड खंड 1 के अनुसार होंगे ।
3.2	**निविदा दस्तावेज में संशोधन**
3.2.1	बोलियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व किसी समय बैंक किसी कारण से, चाहे उसकी अपनी पहल पर या किसी भावी बोलीकर्ता द्वारा की गयी जिज्ञासा को स्पष्ट करने के लिए हो, निविदा को एक संशोधन द्वारा उपांतरित कर सकता है ।
3.2.2	उक्त संशोधन परिशिष्ट/शुद्धिपत्र के रूप में सभी भावी बोलीकर्ताओं के पास भेजा जायेगा, जिन्हें महत्वपूर्ण सूचना के पैरा 1.2 में उल्लिखित अंतिम तिथि को या उसके पूर्व निविदा भेजी गयी हो । यह संसूचना लिखित रूप में डाक या फैक्स द्वारा भेजी जायेगी और वह सभी बोलीकर्ताओं पर बंधनकारी होगी । भावी बोलीकर्ताओं को परिशिष्ट/शुद्धिपत्र की प्राप्ति-स्वीकृति तत्परतापूर्वक फैक्स या डाक से देनी चाहिए । जारी किया गया परिशिष्ट निविदा दस्तावेज का भाग बनेगा ।
3.2.3	इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भावी बोलीकर्ताओं को अपनी बोली तैयार करने के लिए उचित समय प्रदान किया जाये, बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा सकता है ।

3.3	**बोली प्रस्तुत करना :** निर्धारित प्रपत्र में निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जायेगी (दो अलग और सुभिन्न लिफाफे)
3.3.1	**तकनीकी बोली**
	निविदा के भाग । में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें, बोलीकर्ता का प्रावरण पत्र संगत दस्तावेजों के साथ और रु.54000/- इएमडी एक मुहरबंद लिफाफे में होगी, जिसके ऊपर "**भाग-। कृषि बैंकिंग महाविद्‌यालय (सीएबी), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), पुणे में फायर वार्डन की सेवाएँ प्रदान करने के लिए निविदा"** लिखा होगा ।
(i)	**खंड । से IX तकनीकी बोली के भाग हैं ।** सभी खंडों के सभी पृष्ठों पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्‌वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे । भागीदारी फर्म के मामले में सभी भागीदारों के या कंपनी के मामले में उसके बोर्ड द्‌वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर होंगे ।
(ii)	बोलीकर्ता को विभिन्न खंडों में विनिर्दिष्ट सभी ब्यौरे भरने होंगे ।
(iii)	इएमडी तकनीकी बोली का भाग होगा ।
(iv)	निविदा दस्तावेजों को अंग्रेजी में भरा जायेगा और सभी प्रविष्टियाँ स्याही में हाथ से लिखी जायेंगी । यदि कोई दस्तावेज गुम हो जाये या हस्ताक्षित नहीं हो, तो निविदा को बैंक द्‌वारा अपने विवेक पर अवैध समझा जायेगा ।
3.3.2	**वित्तीय बोली :** निविदा के भाग-।। में कोई शर्त अंतर्विष्ट नहीं होगी, लेकिन बैंक की परिमाण अनुसूची और निविदादाता की कीमत बोली मात्र होगी और उसे अलग लिफाफे में मुहरबंद किया जायेगा, जिसके ऊपर "**भाग-।। कृषि बैंकिंग महाविद्‌यालय (सीएबी), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), पुणे में फायर वार्डन की सेवाएँ प्रदान करने के लिए निविदा"** लिखा जायेगा । **वित्तीय बोली भाग - ।। में दिये गये फार्मेट में होगी । इसके निम्नलिखित घटक होंगे :** **1. तैनात किये गये फायर वार्डनों के लिए दरें** **2. रिलीवर प्रभार** **3. फर्म का सेवा-प्रभार** **4. अग्निशामकों की सर्विसिंग के लिए दरें**
(i)	**बोली की वैधता-अवधि :** बोली कीमतें केवल भारतीय रुपयों में उद्धृत की जायेंगी । इन कीमतों में कार्य से संबंधित सभी खर्च, जिनमें कोई फुटकर/संग्रहण खर्च शामिल

	है, सभी कर (जीएसटी को छोड़ कर), प्रभार, लेवी, उपकर, बीमा, अन्य सरकारी कर, आदि शामिल होने चाहिए । **उद्धृत दरों में जीएसटी शामिल नहीं हो, जिसकी प्रतिपूर्ति लागू दरों के अनुसार की जायेगी ।**
(ii)	राशि में कोई सुधार स्वीकार नहीं किया जायेगा।
(iii)	कीमतें कीमत अनुसूची के अनुसार उद्धृत की जानी चाहिए और कोई भी स्तंभ खाली न रहे, ताकि किसी प्रकार की अस्पष्टता से बचा जा सके ।
(iv)	बोलीकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कीमत अनुसूची के सभी स्तंभ विधिवत भरे जाते हैं और कोई स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाता है । कीमत बोली को खोले जाने के बाद किसी प्रकार का स्पष्टीकरण बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
(v)	यदि कीमत अनुसूची का कोई स्तंभ खाली पाया जाता है, तो संबंधित बोलीकर्ता की निविदा को अनुक्रियाशील नहीं माना जायेगा और उसे सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।
3.3.3	प्रत्येक बोलीकर्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह स्वयं सभी प्रकार की स्थानीय स्थितियों और कारकों से परिचित हो ले, जिनका कोई प्रभाव संविदा के संपादन पर और सामग्रियों की लागत पर पड़ता हो । एक बार जब बोलीकर्ता द्वारा बैंक का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता हे, तब किसी स्थानीय स्थिति या कारक के चलते कीमत में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
3.4	बैंक द्वारा स्वीकार किये जाने के लिए बोलियाँ उस अवधि के लिए वैध रहेंगी, जो **पैरा 1.2** में बतायी गयी है । इस अवधि को, यदि अपेक्षित हो, आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है ।
3.5	**अग्रधन जमा (इएमडी)/बोली जमानत**
3.5.1	बोलीकर्ता इएमडी के समर्थन में प्रमाण संलग्न करेंगे, यदि वह पैरा 1.2 में बतायी गयी राशि के लिए एनइएफटी द्वारा भेजी गयी हो ।
3.5.2	इएमडी का प्रेषण एनइएफटी के माध्यम से किया जायेगा या बैंक गारंटी के रूप में जमा किया जायेगा, जो किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किया जाये । एनइएफटी के ब्यौरे तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे । इएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा । सफल बोलीकर्ता की इएमडी बैंक में प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रख ली जायेगी ।

3.5.3	जिन बोलियों के साथ इएमडी नहीं होगी, उन्हें अनुक्रियाशील नहीं माना जायेगा और उन्हें बैंक द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।
3.5.4	असफल बोलीकर्ताओं की इएमडी सफल बोलीकर्ता को कार्य दे दिये जाने के बाद बैंक द्वारा उन्मोचित/लौटा दी जायेगी ।
3.6	**इएमडी जब्त कर ली जायेगी, यदि बोलीकर्ता :**
(i)	प्रस्तुत किये गये फार्मों, विवरणों और संलग्नकों में कोई भ्रामक या असत्य अभिवेदन करता हे, कोई महत्वपूर्ण सूचना, न्यायालय में लंबित किसी विधिक कार्यवाही के ब्यौरे छिपाता है, जिसके चलते उसका पात्रता मानदंड अन्यथा प्रभावित हो सकता था; अथवा
(ii)	वित्तीय बोली के स्तंभ को खाली छोड़ देता है; या
(iii)	बोली की वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है, या
(iv)	किसी सरकारी एजेंसी द्वारा काली सूची में डाला गया है और वह काली सूची अभी भी लागू है ।
3.7	**बोलियों के प्रस्तुतीकरण की क्रियाविधि**
	इच्छुक पात्र बोलीकर्ता निर्धारित प्रारूप में निविदा दो भागों में निम्नानुसार प्रस्तुत करेंगे : भाग-। निविदा में निविदादाता का प्रावरण पत्र, दस्तावेज, जिनका ब्यौरा निविदा में दिया गया है, अतिरिक्त जानकारी, यदि हों, होंगी और वह एक मुहरबंद लिफाफे में दिया जायेगा, जिसके ऊपर "**भाग । - कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), पुणे में फायर वार्डन की सेवाएँ प्रदान करने लिए निविदा**" लिखा होगा । भाग-।। निविदा में कोई शर्त अंतर्विष्ट नहीं होगी, लेकिन बैंक की परिमाण अनुसूची और निविदादाता की वित्तीय बोली मात्र होगी और उसे अलग लिफाफे में मुहरबंद किया जायेगा, जिसके ऊपर "**भाग ।। - कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), पुणे में फायर वार्डन की सेवाएँ प्रदान करने लिए निविदा**" लिखा होगा । ये दोनों लिफाफे पुनः एक अलग लिफाफे में मुहरबंद किये जायेंगे और उसपर **"प्रधानाचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी), पुणे, 411016"** का पता लिखा जायेगा

	और बैंक के पास उसे निविदा प्रपत्र में बताये गये ढंग से 17 अक्तूबर 2017 को 1300 बजे या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा ।
3.7.1	**तकनीकी बोली**
(क)	तकनीकी बोली, जिसमें (खंड I से खंड IX तक) में दिये गये सभी ब्यौरे शामिल होंगे, एक लिफाफे में, दी जायेगी, जिसके ऊपर निविदा का भाग और नाम लिखा होगा जैसाकि पैरा 3.3.1 में दिया गया है और खोले जाने की तिथि लिखी होगी, जैसाकि पृष्ठ 1 पर दिया गया है ।
(ख)	**कृपया यह नोट करें कि तकनीकी बोली में कीमतें नहीं बतायी जानी चाहिए ।**
(ग)	इएमडी तकनीकी बोली का भाग होगी और एनइएफटी या बैंक गारंटी के ब्यौरे तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे ।
3.7.2	**वित्तीय बोली**
	वित्तीय बोली एक लिफाफे में होगी, जिसके ऊपर पैरा 3.3.2 में उल्लिखित निविदा का भाग और नाम लिखा होगा । कृपया यह नोट करें कि वित्तीय बोली में कोई शर्त नहीं बतायी जाये ।
3.7.3	उपर्युक्त तैयार किये गये तकनीकी बोली के मुहरबंद लिफाफे और वित्तीय बोली के मुहरबंद लिफाफे, दोनों को, एक अलग लिफाफे में रखकर उसे मुहरबंद किया जायेगा और उसके ऊपर निविदा का नाम लिखा जायेगा ।
3.7.4	सभी लिफाफों पर स्पष्ट रूप से बोलीकर्ता का नाम और पता लिखा होगा ।
3.7.5	**यदि एकल मुहरबंद लिफाफे को खोले जाने के बाद यह पाया जाता है कि तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को अलग-अलग लिफाफों में नहीं रखा गया है; तो बोली को अस्वीकृत किया जा सकता है ।**
3.8	कोई सशर्त/वैकल्पिक भाव स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
3.9	बोली प्राप्त हो जाने के बाद बोलीकर्ताओं को अपनी बोलियों में हेर-फेर या संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
3.10	**बोलियों की प्राप्ति**
	मुहरबंद बोलियाँ निर्धारित समय और तिथि तक, जो **पैरा 1.2 में निर्दिष्ट** किया गया है, निविदा पेटी में जमा की जा सकती हैं । वैकल्पिक रूप से

	बोलियाँ पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर से प्रधानाचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी), भारतीय रिज़र्व बैंक, युनिवर्सिटी रोड, पुणे-411016 को इस प्रकार भेजी जायें कि वे उनके पास निर्धारित अंतिम तिथि और समय के पूर्व पहुँच जायें । उसके बाद प्राप्त बोलियों को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
3.11	**तकनीकी बोली को खोलना**
	तकनीकी बोली 17 अक्तूबर 2017 को 1600 बजे कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी), पुणे -411016 में खोली जायेगी । बोलीकर्ता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि चाहें, तो इसके लिए उपस्थित रह सकते हैं ।
3.12	**तकनीकी बोली की संवीक्षा**
3.12.1	पैरा 1.1.1 में दी गयी पात्रता-शर्तों के अनुसार
3.13.2	बैंक निविदादाता के ग्राहकों और बैंकरों से निविदादाता के पिछले कार्यसंपादन के बारे में रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है । बैंक निविदा के भाग - ।। को खोले जाने के पूर्व उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा । यदि कोई निविदादाता किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपेक्षित पात्रता रखता हुआ नहीं पाया गया और/या उसके ग्राहकों से प्राप्त कार्यसंपादन रिपोर्ट और/या उसके बैंकरों की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पायी गयी, तो बैंक को अधिकार होगा कि वह निविदा के भाग-। को खोले जाने के बाद भी उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे और उसकी इएमडी बैंक के विवेक पर जब्त कर ली जायेगी या उसे लौटा दी जायेगी । ऐसा करने का कोई कारण बताने के लिए बैंक बाध्य नहीं है ।
3.14	**वित्तीय बोली को खोला जाना**
	चयनित बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोली बाद में खोली जायेगी और ऐसे बोलीकर्ताओं को तदनुसार तिथि और समय की जानकारी दी जायेगी । चयनित बोलीकर्ता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि चाहें तो इसके लिए उपस्थित रह सकते हैं ।

3.15	**वित्तीय बोली की संवीक्षा**
	वित्तीय बोली का मूल्यांकन खंड IX में बतायी गयी क्रियाविधि के अनुसार किया जायेगा
3.16	बैंक को अधिकार है कि वह कार्यादेश देते समय/संविदा पर हस्ताक्षर किये जाते समय परिमाण में परिवर्तन कर सकता है या आदेश को चयनित बोलीकर्ताओं के बीच विभक्त कर सकता है ।
3.17	**बैंक को अधिकार है कि वह किसी बोली को स्वीकार करे या किसी या सभी बोलियों को अस्वीकार कर दे ।**
(i)	ऊपर उल्लिखित किसी बात के होने पर भी, बैंक को अधिकार है कि वह संविदा दिये जाने के पूर्व किसी समय किसी बोली को प्रभावित बोलीकर्ता या बोलीकर्ताओं के प्रति बिना किसी देयता के स्वीकार या अस्वीकार कर दे । किसी या सभी बोलियों को अस्वीकृत किये जाने का कारण बैंक नही बतायेगा । बैंक को अधिकार है कि वह निवदा दिये जाने के पूर्व किसी प्रक्रम पर चयन प्रक्रिया को रद्द/बातिल कर दे ।
3.18	**विवाद**
	सभी प्रकार के विवाद ऊपर पैरा 1.2 में बताये गये युक्तियुक्त न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होंगे और भारत में प्रवृत्त संगत सांविधिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगे ।
3.19 (क)	**न्यूनतम मजदूरी का अनुपालन** **बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत दरें ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुरूप होनी चाहिए ।** ***जिन बोलियों में निर्धारित दरों (अर्ध-कुशल कामगार) से नीचे दरें उद्धृत की गयी होंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा*** **। बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके/उनके द्वारा नियोजित कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एनइएफटी द्वारा उनके बैंक खातों में किया जाता है और वह एक मजदूरी रजिस्टर रखेगा और अपने द्वारा नियोजित प्रत्येक कामगार को मजदूरी पर्ची देगा और मजदूरी पर्ची पर उनके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा । इसके अतिरिक्त, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अनुसार उन्हें अपने कर्मचारियों को आवश्यक सुख-सुविधा, यथा, पीने का**

	पानी, फर्स्ट एड की सुविधा, आदि प्रदान करनी होगी । कर्मचारियों को वेतन का भुगतान केवल एनइएफटी द्वारा उनके बैंक खातों में किया जायेगा और एनइएफटी भुगतान की एक प्रति विक्रेता को भुगतान के लिए बैंक के पास प्रस्तुत किये जाने वाले बिल के साथ प्रस्तुत की जायेगी । कंपनी/फर्म द्वारा इसके कर्मचारियों को कोई नकद भुगतान नहीं किया जायेगा।
(ख)	सफल बोलीकर्ता को कार्य दिये जाने के पहले प्रयोज्य मूल्य वाले न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर वचनपत्र देना होगा कि वह सभी प्रकार के श्रमिकों को, जो उसके/उनके द्वारा विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियोजित किये गये हैं, उस दर पर वस्तुतः मजदूरी का भुगतान करने का वचन देता है/देते हैं, जो सीएलआरए अधिनियम, 1970 के न्यूनतम मजदूरी के अंतर्गत निर्धारित दर से कम नहीं है और वह प्रधान नियोक्ता को उन सभी कार्रवाइयों से क्षतिपूरित रखेगा/रखेंगे, जो प्रधान नियोक्ता के विरुद्ध सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा ऐसी मजदूरी का भुगतान उसके द्वारा नहीं किये जाने तथा आवश्यक सुख-सुविधा प्रदान नहीं किये जाने के लिए आरंभ की जा सकती हैं ।
(ग)	सफल बोलीकर्ता बैंक को उन सभी हानियों एवं दावों, हर्जाने या मुआवजे से, जो मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 या इस संबंध में प्रवृत्त किसी अन्य श्रम-कानून/संविधि के किसी प्रावधान का भंग किये जाने के चलते बैंक के विरुद्ध की जाये, बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूरित रखेगा । इस संबंध में किसी देयता के लिए केवल फर्म जिम्मेवार होगी ।
(घ)	पैरा 3.19 (क) को ध्यान में रखते हुए सफल बोलीकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह माँगे जाने पर तैनात किये गये कार्मिकों के बैंक खाता के ब्यौरे भुगतान किये जाने के प्रमाणस्वरूप दे ।
3.20	**बीमा :** सफल बोलीकर्ता संविदा मूल्य के लिए "सर्व जोखिम पालिसी" तथा काम में लगाये गये कामगारों के लिए कर्मकार प्रतिकर पालिसी लेगा । सफल बोलीकर्ता बैंक को किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए, जो व्यक्तियों, भवन या अन्य पार्टी को कार्य का निष्पादन किये जाते समय हो, क्षतिपूर्ति करेगी । **फर्म की सर्व जोखिम पालिसी में अन्य पार्टी देयता प्रति व्यक्ति कम से कम रु.2 लाख किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए होगी और किसी संपत्ति को किसी दुर्घटना या घटना में नुकसान होने के संबंध में रु.5 लाख होगी ।**

	टिप्पणी : ये पालिसियाँ उस अवधि के दौरान वैध रहेंगी, जब तक सफल बोलीकर्ता संविदा में उल्लिखित सेवाएँ बैंक को प्रदान करता है । यदि फर्म ये पालिसियाँ नहीं दे, तो बैंक को अधिकार होगा कि वह उक्त बीमा पालिसियाँ स्वयं ले ले और उसकी लागत बोलीकर्ता के बिल में से वसूल करे ।
3.21	**संविदा करार पर हस्ताक्षर किया जाना** निविदादाताओं के लिए सामान्य अनुदेश और विशेष शर्तें, इसमें इसके पूर्व निर्दिष्ट शर्तें, निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न संविदा की शर्तें, बाद में बैंक और निविदादाता के बीच पत्राचार और दिया गया कार्यादेश अंतिम संविदा के आधार बनेंगे, जो सफल बोलीकर्ता के साथ किया जायेगा । बैंक से उसकी/उनकी निविदा स्वीकार कर लिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर सफल बोलीकर्ता संविदा के कार्यान्वयन के लिए बाध्य होगा और उसके 14 दिनों के भीतर सफल बोलीकर्ता प्रारूप करार के अनुसार द्विभाषी करार पर हस्ताक्षर करेगा । करार के निष्पादन के लिए आवश्यक स्टाम्प पत्र का मूल्य बोलीकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। सफल बोलीकर्ता संविदा का कोई हिस्सा उप-ठेके पर नहीं देगा । इन शर्तों का भंग होने की स्थिति में बैंक सफल बोलीकर्ता को लिखित रूप में एक नोटिस देगा कि संविदा को विखंडित कर दिया गया है, जिसके बाद प्रतिभूति निक्षेप बैंक द्वारा जब्त कर लिया जायेगा और इससे बोलीकर्ता के विरुद्ध बैंक द्वारा अन्य उपचार किये जाने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
3.22	आंशिक निविदा को स्वीकार करने का अधिकार : बैंक को अधिकार है कि वह निविदा को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार करे

(बोलीकर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और मुहर)

स्थान

तारीख

खंड IV : संविदा की विशेष शर्तें

4.1	**संविदा का नवीकरण** सेवा संविदा करार में यथा विनिर्दिष्ट तिथि तक वैध रहेगी और इसे संतोषजनक कार्यसंपादन के आधार पर और उन्हीं शर्तों पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेता है, जो एक बार में एक वर्ष के लिए होगा, जो सांविधिक अपेक्षाओं में परिवर्तन या संशोधन के अधीन होगा ।
4.2	**अप्रकटीकरण** फर्म प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बैंक की आधारभूत संरचना/प्रणालियों/उपकरणों, आदि के बारे में कोई सूचना, सामग्री और ब्यौरे, जो सफल बेलीकर्ता को इस करार से संबंधित संविदागत बाध्यताओं को पूरा करने के दौरान उसके कब्जे या जानकारी में आयें, किसी अन्य पार्टी को नहीं बतायेगी और सब समय उसे अत्यंत गुप्त रखेगी । फर्म संविदा के ब्यौरों को निजी और गोपनीय मानेगी, सिवाय उस सीमा तक, जहाँ तक करार के अंतर्गत बाध्यताओं या प्रयोज्य विधियों का अनुपालन किया जाना है । फर्म नियोक्ता की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कार्य का कोई विवरण किसी व्यवसाय या तकनीकी पत्र या अन्यत्र प्रकाशित नहीं करेगी या प्रकाशित किये जाने की अनुमति नहीं देगी । सफल बोलीकर्ता किसी गोपनीय जानकारी के प्रकट किये जाने के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी हानि के लिए उसे क्षतिपूरित रखेगा । उपर्युक्त का पालन किये जाने में विफलता को सफल बोलीकर्ता की ओर से संविदा-भंग के रूप में माना जायेगा और बैंक हर्जाने का दावा करने और विधिक उपचार करने का हकदार होगा । सफल बोलीकर्ता अपने कर्मचारियों के संबंध में वे सब कार्रवाई करेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो कि इस करार के अंतर्गत गोपनीय जानकारी को प्रकट नहीं किये जाने की बाध्यताएँ पूरी होती हैं । अप्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में सफल बोलीकर्ता की बाध्यताएँ इस करार की अवधि-समाप्ति या उसके खत्म होने तक, चाहे जिस कारण से हो, लागू रहेंगी ।
4.3	सफल बोलीकर्ता अपने कर्मचारियों को या एजेंटों को, जो बैंक परिसर में काम कर रहे होंगे, पहचान पत्र देगा । सभी कर्मचारियों और एजेंटों को बैंक परिसर में कार्य करते समय पहचान पत्र धारण करना होगा ।
4.4	सफल बोलीकर्ता अपने कर्मचारियों को बैंक परिसर में ड्यूटी के लिए तैनात किये जाने के पूर्व उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उनकी आयु. शैक्षणिक योग्यता, नाम एवं स्थायी पता, जो इस संविदा के अंतर्गत दिया जाना है, के संबंध में अन्य ब्यौरों के साथ उनका पासपोर्ट आकार का फोटो प्राप्त करेगा ।

4.5	**दंड**
	यदि तैनात किये गये फायर वार्डनों द्वारा कार्य की अवहेलना की जाये (देखें : कार्य का विषय-क्षेत्र - खंड ।।), तो प्रत्येक बार ऐसा किये जाने पर रु.1000/- का जुर्माना उस माह के लिए देय बिल में से बैंक द्वारा वसूल किया जायेगा ।
4.6	**भुगतान की शर्तें** उद्धृत प्रभार में तैनात किये मानव बल, उपयोग की गयी सानग्री और मशीन/उपकरण (गम बूट, दस्ताने, जैकेट, आदि) की लागत शामिल होगी, जिन्हें कुशल सेवा प्रदान करने के लिए काम में लगाया गया है और उसका भुगतान मासिक आधार पर इनवाइस प्रस्तुत किये जाने और सफलतापूर्वक कार्य-संपादन किये जाने पर किया जायेगा । बैंक के अधिकारियों द्वारा ऐसा विधिवत प्रमाणित किये जाने के बाद कि सेवाएँ संतोषजनक ढंग से प्रदान की गयी हैं, और सभी प्रकार की सांविधिक देय राशियों/करों, आदि की कटौती किये जाने के बाद भुगतान किया जायेगा । **<u>ध्यातव्य :</u> कर्मचारियों का वेतन एनइएफटी के माध्यम से केवल उनके बैंक खातों में दिया जायेगा और एनइएफटी भुगतान की एक प्रति फर्म को भुगतान किये जाने के लिए बिल के साथ प्रस्तुत की जायेगी ।**
4.7	**अदृष्ट परिस्थितियाँ (Force Majeure)** बोलीकर्ता अपने इएमडी के समपहरण, निर्णीत हर्जाने, चूक के लिए समापन के लिए दायी नहीं होगा, यदि कार्यसंपादन में विलंब या उसकी बाध्यताओं को पूरा करने में विफलता किसी अदृष्ट परिस्थिति के घटित होंने के कारण हुई हो । इस खंड के प्रयोजनार्थ 'फोर्स मैज्योर' से अभिप्रेत है कोई ऐसी घटना, जिस पर बोलीकर्ता का नियंत्रण नहीं हो और जिसमें बोलीकर्ता का कोई दोष या उपेक्षा शामिल नहीं हो और जिसकी प्रत्याशा नहीं की गयी हो । ऐसी घटनाओं में युद्ध या क्रांति, आग लगना, बाढ़, भूकंप, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, मालभाड़ा प्रतिरोध, आदि शामिल हो सकते हैं । बैंक यह निर्णय लेगा कि क्या बोलीकर्ता की विफलता किसी ऐसी घटना के कारण हुई, जिस पर उसका नियंत्रण नहीं था । इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बोलीकर्ता पर बंधनकारी होगा और उसे किसी न्यायालय/फोरम के समक्ष किसी कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा ।
4.8	**चूक के लिए संविदा का समापन**
4.8.1	बैंक संविदा में भंग के लिए किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सफल बोलीकर्ता को चूक में सुधार के लिए एक महीने की लिखित नोटिस दे सकता है और सफल बोलीकर्ता द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहने या उपेक्षा

	करने या चूक को नहीं सुधारने पर इस संविदा को पूर्णतः या अंशतः समाप्त कर सकता है ।
(i)	यदि सफल बोलीकर्ता कार्य की किसी या सभी मदों को, जैसाकि निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट है, संविदा में विनिर्दिष्ट अवधि(यों) के भीतर पूरा करने में विफल रहता है : अथवा
(ii)	यदि सफल बोलीकर्ता संविदा के अंतर्गत किन्ही अन्य बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रहता है ।
4.8.2	चूक के लिए संविदा का समापन किये जाने पर सफल बोलीकर्ता की इएमडी जब्त कर ली जायेगी ।
4.8.3	चूक के लिए संविदा का समापन हो जाने पर बैंक के विवेक पर सफल बोलीकर्ता को काली सूची में रखने की कार्रवाई की जायेगी ।
4.8.4	बैंक को अधिकार है कि वह निविदा दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्ट शर्तों को भंग किये जाने के मामले में न्यायालय जाये ।
4.8.5	**दिवालियापन के लिए समापन** बैंक किसी समय बोलीकर्ता को लिखित नोटिस दे कर संविदा को, बोलीकर्ता को बिना मुआवजा दिये, समाप्त कर सकता है, यदि बोलीकर्ता दिवालिया हो जाये या अन्यथा धन शोधन में अक्षम हो जाये, लेकिन ऐसे समापन का कोई प्रतिकूल प्रभाव बैंक के किसी अधिकार पर नहीं पड़ेगा, जिसके अंतर्गत बैंक कोई कार्रवाई कर सकता है या उपचार प्राप्त कर सकता है ।
4.10	**पेटेन्ट्स** सफल बोलीकर्ता पेटेंट अधिकार के संबंध में बैंक के विरुद्ध किये गये सभी दावों की क्षतिपूर्ति करेगा और ऐसे दावों से उद्भूत सभी कार्रवाइयों का बचाव करेगा और स्वयं सभी प्रकार की रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, नुकसानी, खर्च और प्रभार का, जो इस संबंध में विधिक रूप से उपचित हों, भुगतान करेगा ।
4.11	**सुरक्षा उपायों का पालन** सफल बोलीकर्ता को नीचे दिये गये सुरक्षा कोड का पालन करना होगा : क) सफल बोलीकर्ता सुरक्षा संबंधी सभी विनियमों का पालन करेगा । वह अपने कर्मचारियों को उनके कार्य के स्वरूप के अनुसार आवश्यक सुरक्षा उपकरण देगा, जैसा बैंक द्वारा अनुदेश दिया जाये । सभी मॉडल सुरक्षा नियमों का, जो सुरक्षा अनुभाग द्वारा समय समय पर जारी किये जायें, दृढ़तापूर्वक पालन किया

	जायेगा । ख) उन मामलों में, जहाँ शारीरिक क्षति के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाना आवश्यक हो, वहाँ घायल व्यक्ति को बिना समय गँवाये सरकारी अस्पताल ले जाया जायेगा । ग) जहाँ कार्य किया जाना है, वहाँ हरियाली वाले क्षेत्र में विषैले सरीसृप या कीड़े हो सकते हैं । ठेकेदार द्वारा पूरी संविदा अवधि के दौरान दुर्घटना से बचाव के लिए अत्यंत सावधानी बरती जायेगी ।
4.12	**सेक्सुअल हेरासमेंट ऐक्ट, 2013 ऐट वर्कप्लेस के प्रावधानों का पालन किया जाना** सफल बोलीकर्ता "सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस (प्रिवेंशन, प्रॉहिबिशन एंड रिड्रेसल) ऐक्ट, 2013" के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए अकेले जिम्मेवार होगा । यदि बैंक परिसर के भीतर इसके कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत की जाती है, तो शिकायत को सफल बोलीकर्ता द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के पास फाइल किया जायेगा और सफल बोलीकर्ता शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत युक्तियुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा । सफल बोलीकर्ता के किसी व्यथित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गयी यौन उत्पीड़न की किसी शिकायत को बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में लिया जायेगा । सफल बोलीकर्ता भुगतान की जानेवाली किसी आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेवार होगा, यदि घटना में ठेकेदार का कर्मचारी शामिल हो, उदाहरण के लिए, बैंक के किसी कर्मचारी को आर्थिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा किया जाना सिद्ध हो जाये । सफल बोलिकर्ता अपने कर्मचारियों को कार्य-स्थल पर यौन उत्पीड़न और संबंधित मामलों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेवार होगा । सफल बोलीकर्ता अपने कर्मचारियो की पूर्ण और अद्यतन सूची देगा, जो बैंक परिसर में तैनात किये जाते हैं ।

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त अनुदेशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वे मुझ पर/हम पर बंधनकारी होंगे, यदि उप्रयुक्त संविदा मुझे/हमें दी जाती है । मैं/हम यह भी नोट करता हूँ/करते हैं कि यह पत्र निविदा का भाग बनेगा और इस पत्र की विषय-वस्तु निविदा की शर्तों के पूरक के रूप में होगी और सिवाय इसमें विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित को छोड़ उसका अल्पीकरण करने वाली नहीं होगी ।

(बोलीकर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और मुहर)

स्थान :

तारीख :

खंड -VI : निविदा का प्ररूप

प्रधानाचार्य
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी)
भारतीय रिज़र्व बैंक
युनिवर्सिटी रोड,
पुणे - 411 016

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), पुणे में फायर वार्डन की सेवाएँ प्रदान करने और सीएबी, आरबीआई के कार्यालय परिसर तथा इसके 05 आवासीय क्वार्टरों 'आशियाना' अधिकारी क्वार्टर्स, (गोखले नगर, पुणे, 'पारिजात' अधिकारी क्वार्टर्स, (युनिवर्सिटी रोड, पुणे), 'गुलमोहर' अधिकारी क्वार्टर्स (दहानुकर कॉलोनी, कोथरुड, पुणे), 'निशिगंधा' स्टाफ क्वार्टर्स, (युनिवर्सिटी रोड, पुणे) और 'रजनीगंधा' स्टाफ क्वार्टर्स, (युनिवर्सिटी रोड, पुणे) में संविदा में विनिर्दिष्ट तिथि से 30 जून 2018 तक अग्निशामकों की सर्विसिंग के लिए निविदा ।

महोदया/महोदय,

शीर्षोक्त कार्य से संबंधित अपेक्षाओं, शर्तों एवं परिमाण अनुसूची की जाँच कर लेने और कार्य-स्थल को देख-परख लेने तथा उसके संबंध में अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर लेने पर, जो निविदा में शामिल है, मैं/हम इसके द्वारा **कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), पुणे में फायर वार्डन की सेवाएँ प्रदान करने और सीएबी, आरबीआई के कार्यालय परिसर तथा इसके 05 आवासीय क्वार्टरों 'आशियाना' अधिकारी क्वार्टर्स, (गोखले नगर, पुणे), 'पारिजात' अधिकारी क्वार्टर्स, (युनिवर्सिटी रोड, पुणे), 'गुलमोहर' अधिकारी क्वार्टर्स (दहानुकर कॉलोनी, कोथरुड, पुणे), 'निशिगंधा' स्टाफ क्वार्टर्स, (युनिवर्सिटी रोड, पुणे) और 'रजनीगंधा' स्टाफ क्वार्टर्स, (युनिवर्सिटी रोड, पुणे) में अग्निशामकों की सर्विसिंग** का कार्य संलग्न परिमाण अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और निविदा की शर्तों तथा इसके साथ संलग्न संविदा की शर्तों के अनुसार अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव करता हूँ/करते हैं ।

तैनाती 24 घंटे * 7 दिन आधार पर होगी । हम यह समझते हैं कि हमारे द्वारा तैनात किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कम से कम निम्नानुसार होगी :

सेवा का प्रकार	अर्ध कुशल मानव बल	टिप्पणी
फायर वार्डनों की सेवाएँ प्रदान करना	06 व्यक्ति/दिन (2x3 पारियाँ)	

2. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा स्वीकृति के लिए निविदा खोले जाने की तिथि से 90 दिनों तक वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकेगा, जो बैंक और हमारे बीच

लिखित आपसी सहमति से हो । हम निविदा की वैधता की पूरी अवधि के लिए इएमडी को या इएमडी के लिए बैंक गारंटी को वैध रखे जाने के लिए सहमत हैं ।

3. यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ/करते हैं कि निविदा की सभी शर्तों को पूरा करूँगा/करेंगे और इसमें कोई चूक होने पर हम ऐसी राशि से वंचित होंगे और आपको या आपके उत्तराधिकारियों या समनुदेशितियों या नामित व्यक्तियों को उसका भुगतान करेंगे, जैसाकि निविदा दस्तावेज में संविदा की लिखित स्वीकृति के साथ शर्तों में अनुबद्ध किया गया है ।

4. मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि आपको बिना कोई कारण बताये किसी निविदा या सभी निविदाओं को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है ।

दिनांक- - - - - - 2017

वास्ते मे. - - - - - - - - - - - - - - - के लिए और उनकी ओर से

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और मुहर)

नाम - - - -

पदनाम - - - - -

स्थान - - - - -

तारीख - - - - -

(बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि या अधिदेश या उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ता के मुख्तारनामे की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जाये)

साक्षी

(1) हस्ताक्षर - - - -

नाम, पता और तारीख - - - -

(2) हस्ताक्षर - - - -

नाम, पता और तारीख - - - -

खंड VI : बोलीकर्ताओं के ब्यौरे

फर्म के ब्यौरे

क्रम सं.	विवरण	बोलीकर्ता द्‍वारा भरा जायेगा
1.	क्या एकमात्र स्वामित्व वाली या भागीदारी फर्म या कंपनी है	
2.	फर्म के स्वामी/भागीदार/निदेशक के नाम	
3.	फर्म का पता	
4.	टेलीफोन/मोबाइल	
	ई-मेल	
	फैक्स	

फर्म के बैंकर का ब्यौरा :

क्रम सं.	**विवरण**	**निविदादाता द्वारा भरा जायेगा**
1	बैंक का नाम	
2	शाखा का पता	
3	आइएफएससी कोड (निरस्त चेक संलग्न किया जाये)	
4	टेलीफोन और फैक्स नं.	
5	संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति का नाम	
6	फर्म द्वारा बैंक से उपभोग की गयी ऋण सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा की राशि	
7	किस अवधि से फर्म का खाता बैंक में है	
8	बैंक खाता संख्या (**चालू खाता होना चाहिए)**	
9	खाता का प्रकार	
10	खाताधारी का पूरा नाम	
11	स्थायी खाता संख्या (पैन)	

मैं/हम इसके द्वारा सहमत हूँ/हैं और यह पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि हम कर्मचारियों को उनका वेतन एनइएफटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में भुगतान करेंगे और हम यह भी स्वीकार करते हैं कि यदि उक्त कार्य हमारी फर्म/कंपनी को दिया जाता है, तो कार्य से संबंधित भुगतान एनइएफटी के माध्यम से प्राप्त करेंगे ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और मुहर)

स्थान :

तिथि :

खंड - VII : निविदा के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की जाँच सूची

क्रम सं.	अर्हतापूर्व दस्तावेज	संलग्न
		हाँ/नहीं
1	फर्म को महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा विभाग के विक्रेताओं की अनुमोदित सूची में होना चाहिए (इसका साक्ष्य संलग्न किया जाये)	
2	निविदा दस्तावेज हस्ताक्षरित हों और उनपर मुहर लगी हो (भाग I और II) और दो अलग-अलग और सुभिन्न लिफाफों में रखे गये हों । इन दोनों को एक अन्य लिफाफे में रखा जाये	
3	निविदा दस्तावेज का मूल्य रु.1000/- नकद/एनइएफटी द्वारा प्रस्तुत किया गया (अनुबंध V के अनुसार एनइएफटी के ब्यौरे)	
4	सभी बोलीकर्ता इएम़डी रु.54000/- (चौवन हजार मात्र) भेजेंगे, जैसाकि निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसका ब्यौरा अनुबंध V में दिया गया है या बैंक गारंटी द्वारा इएमडी भेजेंगे । एनइएफटी/बैंक गारंटी का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।	
5	31 मार्च 2017 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान फर्म का औसत कुल वित्तीय कारोबार, जो प्रति वर्ष न्यूनतम **रु.25 लाख** हो, का प्रमाण आयकर निर्धारण आदेश/आयकर विवरणी के साथ फर्म के कारोबार का नवीनतम लेखापरीक्षित विवरण, जो किसी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित हो/सनदी लेखाकार द्वारा निर्गत कुल कारोबार के प्रमाण पत्र की प्रतियाँ, जो उनकी ऋण पात्रता और पिछले तीन वर्षों के लिए कुल कारोबार का प्रमाण हों, संलग्न की जायें ।	
6	प्रदान की गयी तत्समान सेवा(ओं) के ग्राहक वार नाम, दी गयी सेवा को निष्पादित करने का वर्ष, और संविदा का वास्तविक मूल्य, उन अधकारियों/ प्राधिकारियों/विभागों के नाम और संपर्क का पूरा ब्यौरा, जिनको सेवा प्रदान की गयी, अनुबंध-I के अनुसार दिया जाये	
7	भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी केंद्र में कार्य करने का पिछला अनुभव, यदि हो, उसका ब्यौरा भी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ दिया जाये	
8	बोलीकर्ता के पास फायर वार्डनों के प्रशिक्षण के लिए कारगर इन्फ्रास्ट्रक्चर/गठजोड़ हो । ऐसी व्यवस्था/गठजोड़ के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए	
9	31 मार्च 2017 को पिछले 5 वर्षों के दौरान इसी प्रकार की केवाएँ	

	सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण ग्राहक रिपोर्ट (**अनुबंध II में दिये गये फार्मैट के अनुसार**), जिसमें पिछले 5 वर्षों के दौरान दी गयी सेवाओं के ब्यौरे दर्शाये गये हों, एक अलग मुहरबंद लिफाफे में तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए **टिप्पणी** : i) सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों के मामले में प्रमाणपत्र पर संबंधित कार्यपालक इंजीनियर या उसके समकक्ष या ऊँचे रैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाये ii) सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों से भिन्न विभागो के संबंध में ऊपर i) में उल्लिखित प्रमाणपत्रों के अतिरिक्त निष्पादित कार्य से संबंधित भुगतानों से मेल खाने वाला टीडीएस प्रमाणपत्र भी संलग्न किया जायेगा	
10	स्थायी खाता संख्या (पैन) की प्रतिलिपि	
11	जीएसटी पंजीकरण का प्रमाण	
12	इएसआइ में पंजीकरण का प्रमाण	
13	इपीएफ प्राधिकारियों के पास पंजीकरण का प्रमाण	
14	श्रंम कानूनों के अंतर्गत पंजीकरण का प्रमाण	
15	खंड VI के अनुसार फर्म/फर्मों और उनके बैंकरों के ब्यौरे	
16	यदि निविदा दस्तावेजों पर मुख्तारनामा धारक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये, तो मुख्तारनामा की प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाये	
17	अनुबंध III में दिये गये प्रोफार्मा के अनुसार शोध-क्षमता के संबंध में बैंकर प्रमाणपत्र, जो कम से कम **25 लाख रुपये** का हो, **अलग मुहरबंद लिफाफे** में तकनीकी बोली के साथ दिया जाये	

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और मुहर

स्थान :

तिथि :

खंड VIII : वाणिज्यिक शर्तें

क्रम संख्या	वर्णन	बैंक की शर्तें	बैंक की शर्तों को स्वीकार करना (हाँ/नहीं)
1	निविदा की वैधता	90 दिन	
2	इएमडी	इएमडी एनइएफटी से भेजा जायेगा, जिसका प्रमाण तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किया जायेगा । इएमडी बैंक गारंटी के रूप में भी बोली के साथ जमा की जा सकती है	
3	भुगतान की शर्तें	भुगतान मासिक आधार पर इनवाइस प्रस्तुत करने पर किया जायेगा । इनवाइस पर भुगतान उसे बैंक के अधिकारियों द्वारा यह प्रमाणित करने पर कि सेवा संतोषजनक ढंग से प्रदान की गयी है और सभी सांविधिक देय राशियों/करों, आदि की कटौती करने के बाद किया जायेगा	
4	कार्य का विषय क्षेत्र	निविदा के खंड II में दिये गये विनिर्देशों के अनुसार	
5	दंड	जैसा निविदा के खंड IV पैरा 4.5 में विनिर्दिष्ट किया गया है	

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और मुहर)

तारीख | नाम

फर्म की मुहर | पदनाम

खंड - X : प्रस्तावों की संवीक्षा

बोलियों की संवीक्षा निम्नानुसार दो प्रक्रमों में की जायेगी :

(क) पात्र बोलीकर्ताओं का चयन

बैंक निविदा दस्तावेज के खंड-I के "अर्हता मानदंड " (देखें निविदा दस्तावेज के खंड-I का पैरा 1.1.1) के अनुसार पहले बोलीकर्ता की पात्रता की संवीक्षा करेगा । तकनीकी संवीक्षा में योग्य पाये गये बोलीकर्ताओं को ही वित्तीय मूल्यांकन के लिए चयनित किया जायेगा ।

इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार ग्रहण नहीं किया जायेगा ।

(ख) वित्तीय मूल्यांकन

बैंक केवल तकनीकी रूप से योग्य पाये गये बोलीकर्ताओं की वित्तीय बोलियों को खोलेगा और संवीक्षा करेगा । वित्तीय बोली में कोई हेर-फेर या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए । यदि प्रस्तुत की गयी वित्तीय बोली में कोई हेर-फेर किया गया पाया जाये, तो उसे अस्वीकृत किया जा सकता है । तकनीकी रूप से चयनित बोलीकर्ताओ की वित्तीय बोली खोली जायेगी और उन्हें एल1, एल2, एल3, आदि रैंक दिया जायेगा, जो उनके द्वारा प्रस्तावित कीमत के आधार पर होगा । बैंक द्वारा की गयी गणना अंतिम होगी और सभी बोलीकर्ताओं पर बंधनकारी होगी ।

10.1	**वित्तीय बोली**
(क)	वित्तीय बोली का मूल्यांकन सेवा के विषय क्षेत्र के अनुसार इस निविदा के खंड ।। में यथा विनिर्दिष्ट सेवाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित संख्या में **अर्ध कुशल कार्मिक** प्रदान करने के लिए सेवा की उद्धृत लागत के आधार पर किया जायेगा ।
(ख)	यदि किसी निविदादाता द्वारा उद्धृत कीमत संरचना में इकाई कीमत और कुल कीमत के बीच विसंगति हो (जिसे इकाई कीमत में परिमाण से गुणा करने पर प्राप्त किया जाता है), तो इकाई कीमत अभिभावी होगी और कुल कीमत में तदनुसार सुधार किया जायेगा, जब तक बैंक यह महसूस नहीं करे कि निविदादाता ने इकाई कीमत में दशमलव विन्दु को लगाने में भूल की है। ऐसे मामले में यथा उद्धृत कुल कीमत इकाई कीमत पर अभिभावी होगी और इकाई कीमत में तदनुसार सुधार किया जायेगा ।
(ग)	यदि कुल कीमत में कोई भूल हो, जिसकी गणना उप-जोड़ में परिवर्धन और/या घटाव करने पर की गयी है, तो उप-जोड़ अभिभावी होगा और कुल जोड़ में सुधार किया जायेगा ; और
(घ)	यदि शब्दों में लिखी राशि और अंकों में लिखी राशि में विसंगति हो, तो ऊपर उप खंड '(ख) ' और '(ग) ' के अधीन शब्दों में लिखी राशि अभिभावी होगी ।
(ङ)	**यदि कोई मद-दर नहीं भरी गयी है/खाली छोड़ दी गयी है, तो बोली को अस्वीकृत किया**

	जा सकता है ।
(च)	यदि अलग-अलग मदों का जोड़ करने में कोई गणितीय भूल हो, तो बैंक द्‌वारा सही जोड़ की गणना की जायेगी और वही अभिभावी होगा ।

अनुबंध I

<u>प्रदान की गयी समान सेवाओं की सूची</u>

क्रम सं.	ग्राहक का नाम	कार्य(यों) को निष्पादित करने का/के वर्ष	निष्पादित कार्य(यों) का वास्तविक मूल्य	उन अधिकारियों/ प्राधिकारियों/विभागों का नाम और संपर्क का पूरा ब्यौरा, जिनके अधीन कार्य निष्पादित किया गया/किये गये

बोलीकर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और मुहर

स्थान :

तारीख :

अनुबंध-।।

<u>ग्राहक का प्रमाणपत्र</u>

ग्राहक का नाम और पता

श्री/मे.- - - -   द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के ब्यौरे

1	सेवाओं का ब्यौरा और उसका संक्षिप्त विवरण	
2	करार सं. और तारीख	
3	करार की राशि	
4	कार्य प्रारंभ किये जाने की तिथि	
5	i) कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग बताएँ)	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषप्रद/घटिया
6	सेवा में कमी के लिए लगाये गये दंड का ब्यौरा (राशि बताएँ) यदि हो	
7	क्या किकी सांविधिक या विनियामक अपेक्षा का अननुपालन देखने में आया ?	
8	1. क्या फर्म किसी प्रक्रम पर विवाचन के लिए गयी 2.यदि हाँ, तो दावे की कुल राशि 3. अधिनिर्णीत कुल राशि	
13	फर्म की सक्षमता के संबंध में टिप्पणी	
	क) तकनीकी प्रवाणता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषप्रद/घटिया
	ख) वित्तीय सुदृढ़ता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषप्रद/घटिया
	ग) मानव बल जुटाना	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषप्रद/घटिया
	घ) सामान्य व्यवहार	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/ अच्छा/संतोषप्रद/घटिया

टिप्पणी : सभी स्तंभ ठीक-ठीक भरे जायें

रिपोर्ट करनेवाले अधिकारी* का हस्ताक्षर
और कार्यालय मुहर

* पीएसयु में एएम/डीजीएम के रैंक का या सरकारी विभाग में उसके समकक्ष रैंक का अधिकारी

अनुबंध - III

<u>किसी अनुसूचित बैंक से बैंकर प्रमाणपत्र का फार्म</u>

प्रमाणित किया जाता है कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार मे./श्री- - - - - - -, जिनका पता हाशिये में नोट किया गया है, हमारे बैंक के ग्राहक हैं और सम्माननीय हैं तथा उन्हें रु. - - - (रुपये . . . .) तक की सीमा के लिए नियोजित करने हेतु उत्तम माना जा सकता है । यह प्रमाणपत्र बिना किसी गारंटी के या बैंक या इसके किसी अधिकारी की जिम्मेवारी के बिना निर्गत किया जाता है ।

(हस्ताक्षर)

कृते बैंक

टिप्पणी :

1. बैंकर प्रमाणपत्र बैंक के पत्र-शीर्ष पर होना चाहिए, मुहरबंद लिफाफे में प्रधानाचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे को संबोधित होना चाहिए ।

2. भागीदारी फर्म के मामले में, प्रमाणपत्र में सभी भागीदारों के नाम शामिल हों, जैसाकि बैंक के रिकार्ड में है ।

<u>अनुबंध IV</u>

<u>तकनीकी बोली - बुनियादी जानकारी</u>

क्रम सं.	अपेक्षित जानकारी	सेवाप्रदाता की टिप्पणी
1	फर्म/बोलीकर्ता का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता और टेलीफोन नंबर प्राधिकृत अधिकारी का नाम और उनका टेलीफोन नंबर भी बताएँ	
2	फर्म का प्रकार, क्या स्वामित्व/भागीदारी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/लिमिटेड कंपनी है और स्थापना की तारीख इसके साथ प्रासंगिक दस्तावेज लगायें	
3	संगठन के स्वामी/भागीदार/निदेशकों के नाम	
4	फर्म के पास उपलब्ध अनुभवी फायर वार्डनों के ब्यौरे, जिनकी तैनाती की जा सकती है (भविष्य निधि./इएसआइसी सूची के रूप में प्रमाण प्रस्तुत किया जाये)	

<u>अनुबंध V</u>

<u>भुगतान किये जाने के लिए एनइएफटी के ब्यौरे</u>

संस्था का नाम : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे-411016

पूरा पता : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, गणेशखिंड रोड, शिवाजी नगर पुणे-411016

1	खाताधारक का नाम (जैसाकि बैंक खाता में दिया गया है)	कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे
2	**खाता संख्या**	**8691632**
3	खाते का प्रकार (बचत, चालू, आदि)	चालू
4	**पैन नंबर**	**AAIFR5286M**
5	बैंक का नाम	**सीएबी, आरबीआई, पुणे**
6	शाखा का नाम	सीएबी, पुणे
7	बैंक का पता	सीएबी, पुणे
8	**एनइएफटी/आइएफएस कोड**	RBIS0PUPA01 (0 in the code represents ZERO)
9	खाता का नाम	**फुटकर जमा खाता-जलेवि**

COLLEGE OF AGRICULTURAL BANKING

भारतीय रिज़र्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA

शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग / PSLD

<u>पुणे/ PUNE</u>

<u>दो भागों वाली निविदा का भाग-II</u>

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), पुणे में फायर वार्डन की सेवाएँ प्रदान करने और सीएबी, तथा इसके 05 आवासीय कॉलोनियों में

अग्निशामकों की सर्विसिंग के लिए निविदा

संविदा में विनिर्दिष्ट तिथि से 30 जून 2018 तक के लिए

को निर्गत - - - - - - - - - - -
निविदादाता का नाम - - - - - - - - -
निविदादाता का पता - - - - - - - - -

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	:	17 अक्तूबर 2017 को 1300 बजे तक
भाग - I निविदा खोले जाने की तिथि	:	17 अक्तूबर 2017 को 1600 बजे तक

भाग ।। (वित्तीय बोली)

(आवेदक के पत्र-शीर्ष पर दिया जायेगा)

कार्य का नाम : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक , पुणे में फायर वार्डनों की सेवाएँ प्रदान करने और कृषि बैंकिंग महाविद्यालय एवं इसके 05 आवासीय कॉलोनियों में संविदा में विनिर्दिष्ट तिथि से 30 जून 2018 तक अग्निशामकों की सर्विसिंग के लिए निविदा ।

उपर्युक्त के संबंध में और आपके द्वारा यथा अनुबद्ध शर्तों के साथ पूर्ण सहमति रखते हुए मैं/हम निम्नानुसार निवेदन करता हूँ/करते हैं :

प्रदान की जाने वाली सेवा(एँ) (ए)	**अपेक्षित व्यक्तियों की संख्या (क)**	**दर प्रति व्यक्ति प्रति माह (ख)**	**राशि प्रति माह**
सीएबी, आरबीआई परिसर में सप्ताह में 07 दिनों के लिए चौबीस घंटे तीन पारियों में दो फायर वार्डन (**अर्ध कुशल कामगार**) तैनात किया जाना*	6		रु.
रिलीवर प्रभार (बी)	**रु.**		
सेवा प्रभार (सी) @	**रु.**		
अग्निशामकों की सर्विसिंग	**राशि प्रति माह**		
अग्निशामकों (109 अदद) की सर्विसिंग के लिए प्रभार (डी)	**रु.**		
कुल प्रतिमाह (ए+बी+सी+डी)			

टिप्पणी :

*** कार्मिकों के लिए कोटेशन सीएलआर ऐक्ट, 1970 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार दिया जाना है और उसमें सभी प्रकार की प्रयोज्य सांविधिक लेवी शामिल हो । न्यूनतम मजदूरी से नीचे दी गयी दरों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।**

@ सेवा प्रभार में वर्दी/जूतों की आपूर्ति, सामग्री की लागत, जीएसटी से भिन्न कर, यदि हो, शामिल होने चाहिए ।

मैंने शर्तों को पढ़ लिया है और उनसे सहमत हूँ ।

बोलीकर्ता का प्रधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम और मुहर)

स्थान

तिथि